



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1088/RJ/1/2023-APCR

दिनांक: 04/05/2023

1. श्रीमती उषा शर्मा

मुख्य सचिव,  
राजस्थान सरकार,  
सचिवालय जयपुर,  
राजस्थान - 302005  
Email Id: [csraj@rajasthan.gov.in](mailto:csraj@rajasthan.gov.in)

2. श्री उमेश मिश्रा

पुलिस महानिदेशक,  
राजस्थान पुलिस,  
पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी,  
जयपुर, राजस्थान - 303002  
Email Id: [dgp-rj@nic.in](mailto:dgp-rj@nic.in)

विषय: परिवादी के साथ जयपुर पुलिस द्वारा क्रमशः दिनांक 04.03.2023, 10.03.2023 को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने एवं गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने के संबंध में अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, से दिनांक 24/03/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)

अनुसंधान अधिकारी

दूरभाष सं.: 24645826

ई-मेल: [researchofficer-apcr@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-apcr@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा,  
संसद सदस्य,  
राज्य सभा राजस्थान,  
एबी-4, पंडारा रोड, नई दिल्ली - 110003, New Delhi, Delhi - 110003  
ई-मेल : [drkirodi.meena51@sansad.nic.in](mailto:drkirodi.meena51@sansad.nic.in)